शासन-व्यवस्था

सुमेरियन युग में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था को इस युग में कुछ दृढ़ता प्राप्त हुई। हम्मूरावी के शासन काल में सम्राट का पद सर्वश्रेष्ठ हो गया था। उसने सभी प्रदेशों को विजितकर उनकी स्वतंत्रता प्रायः समाप्त कर दी। प्रत्येक नागरिक के लिए उसने सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया। साम्राज्य को सुनियोजित करने के लिए दण्ड-व्यवस्था और कठोर कर दी गयी। राजा के परिवार की व्यवस्था भी अब राज्य को ही करनी पड़ती थी। राज्य कर्मचारियों को सख्त आदेश मिला हुआ था कि वे देश-द्रोहियों के प्रति विशेष सतर्क रहें। राज्य में व्यर्थ घूमने वालों तथा सराय में असभ्य आचरण करने वालों को भी मृत्यु दण्ड की व्यवस्था थी क्योंकि हम्मूराबी इन दोनों को विद्रोह का मूल मानता था।

न्याय एवं दण्ड-विधान—हम्मूरावी ने सभी जातियों के कानूनों एवं परम्पराओं को एक सांचे में ढालने के लिए तत्युगीन समस्त प्राचीन रीति-रिवाजों, प्रथाओं एवं व्यापारियों से सम्बन्धित नियमों को संग्रहीत करवाया और सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में एक विस्तृत नियम का निर्माण करवाया। इसी संकलन को उसके नाम पर "हम्मूरावी विधि संहिता" संज्ञा प्रदान की गयी। उसने अपनी विधि-संहिता को सामान्य जनता के समक्ष प्रचारित किया। इसके लिए उसने 8 फीट ऊँचे एक पाषाण खण्ड पर उस संहिता को उत्कीर्ण करवाया जिसमें कुल लगभग 3600 पंक्तियाँ हैं। इस स्तम्भ लेख को लिपिबद्ध करने के बाद बेबीलोन के 'ए-सागिल' (मर्दुक का मन्दिर) में स्थापित किया गया। कुछ समय बाद एलम के लोग इसे सूसा नगर उठा ले गये। फ्रेंच के प्रसिद्ध पुरातत्त्व विद 'द मार्गो' को इसी स्थल से यह प्राप्त हुआ था। यह सेमेटिक भाषा में लिखी गयी है। इसमें कुल 285 धारायें थीं किन्तु अब केवल 282 धाराएँ ही अवशिष्ट हैं। इन्हें वैयक्तिक सम्पत्ति, व्यापार-वाणिज्य, परिवार, अपराध, श्रम इत्यादि अध्यायों में बांटा गया है। हम्मूरावी की विधि संहिता के कुछ प्रमुख विधान अधोलिखित हैं—

1. राज्य-अपराध से सम्बन्धित वाद में साक्षियों (गवाहों) को जो धमकाता था उसे मृत्यु-दण्ड दिया जाता था।
2. देवालय अथवा राजप्रासाद में चोरी करने वाले तथा चोरी का माल रखने वाले दण्ड प्राप्त करते थे।
3. यदि कोई व्यक्ति मन्दिर से पशु चुरा लेता था तो उसे पशु के मूल्य का 30 गुना अर्थ दण्ड देना पड़ता था लेकिन यदि पशु किसी निम्न वर्ग के सदस्य के यहाँ से चुराया जाता था तो अर्थ-दण्ड पशु के मूल्य का 10 गुना देना पड़ता था।
4. साक्ष्य एवं अनुबन्ध (समझौता)-पत्र के अभाव में सोना, चाँदी, दास, वृष, मेष एवं गर्दभ खरीदने या उसे रखने के लिये चोर की भांति प्राण दण्ड दिया जाता था।
5. यदि कोई ऋणी अपने साहु को अपनी पत्नी, पुत्र और कन्या दे देता था तो तीन वर्ष तक कार्य कराने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया जाता था।
6. पतिगृह के बाहर समय व्यतीत करने, मूर्खता से व्यवहार करने, पति की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने और उसकी अवज्ञा करने पर पति पत्नी को तलाक दे सकता

था। ऐसी स्थिति में दहेज में मिली सम्पत्ति का कोई भाग पत्नी को नहीं मिलता था। लेकिन यदि वह यह नहीं कहता था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तो वह दूसरी पत्नी रख सकता था लेकिन प्रथम पत्नी भी एक दासी के रूप में रह सकती थी।

सन्तति के अभाव में पुरुष, स्त्री को तलाक दे सकता था, किन्तु इस स्थिति में भी उसे दहेज की सम्पत्ति मिलती थी। यदि कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ पकड़ ली जाती थी तो उसे जल में डुबो दिया जाता था।

पति द्वारा अपशब्द कहने पर निर्दोष पत्नी दहेज में प्राप्त सम्पत्ति के साथ पितृगृह प्रत्यावर्तित होने की अधिकारिणी थी।

पिता को चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति के हाथ काट लिये जाते थे।

समान सामाजिक स्तर में किसी व्यक्ति की आंख फोड़ देने पर अपराधी की भी आंख फोड़ दी जाती थी। लेकिन यदि किसी निर्धन व्यक्ति की आंख फोड़ी जाती थी अथवा अंगच्छेद किया जाता था तो अपराधी को चाँदी का एक मिना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था।

10. किसी व्यक्ति द्वारा चोट पहुँचाने से यदि किसी शिष्ट महिला का गर्भस्राव हो जाता था तो अपराधी को 10 शेकेल अर्थदण्ड देना पड़ता था। लेकिन यदि महिला की मृत्यु हो जाती थी तो अपराधी की पुत्री मृत्यु दण्ड प्राप्त करती थी।
11. चिकित्सक द्वारा किसी घाव के आपरेशन (शल्य-क्रिया) में जिसे वह एक ताँबे के उस्तूरे से करता था, रोगी की मृत्यु हो जाने पर चिकित्सक के हाथ काट दिये जाते थे। पर मृत्यु यदि किसी के दास की होती थी तो चिकित्सक को उसी मूल्य का एक दास देना पड़ता था।
12. किसी मकान के धराशायी हो जाने पर यदि गृह-स्वामी की मृत्यु हो जाती थी तो शिल्पी को मृत्यु दण्ड दिया जाता था। यदि मृत्यु मकान के मालिक के पुत्र की होती थी तो शिल्पी के पुत्र को प्राण-दण्ड दिया जाता था, और यदि मृत्यु मकान के दास की होती थी तो मृत्युदण्ड शिल्पी के दास को दिया जाता था।
13. यदि कोई नाविक किराये पर जलपोत लेता था और उसे असावधानी से परिचालित कर क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट कर देता था तो उसे उसके मालिक को दूसरा जलपोत देना पड़ता था।
14. अपराध न सिद्ध होने पर वादी को मृत्यु दण्ड दिया जाता था।
15. अभिचार के अपराध में अपराधी को नदी में फेंक दिया जाता था और यदि वह डूब जाता था तो उसकी सम्पत्ति वादी को मिल जाती थी।
16. यदि कोई व्यक्ति किसी भगोड़े दास या दासी को अपने घर में शरण देता था और शासन को इसकी सूचना नहीं देता था तो उसे प्राण-दण्ड मिलता था।
17. यदि कोई सैनिक या अधिकारी राज्यादेश पर किसी अभियान में न जाकर अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेजता था तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था तथा उसकी सम्पत्ति एवजी को मिल जाती थी।

18. यदि सेवाकाल में कोई सैनिक या अधिकारी शत्रु द्वारा पकड़ लिया जाता था और उसकी सम्पत्ति किसी दूसरे को मिल जाती थी तो उसके वापस आने पर पुनः वह जायदाद उसे मिल जाती थी।

19. यदि कोई सैनिक या अधिकारी सेवाकाल में मार डाला जाता था तो उसकी जायदाद उसके पुत्र को मिल जाती थी किन्तु उससे यह आशा की जाती थी कि वह भी राज्य की सेवा करेगा।

20. यदि कोई मद्य विक्रेता स्त्री अपनी दुकान पर एकत्र डाकुओं की सूचना राजभवन में नहीं देती थी तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था।

21. यदि किसी व्यक्ति की प्रथम विवाहिता तथा दासी दोनों को बच्चे हो जाते थे और अपने जीवन काल में वह कभी दासी के बच्चे को अपना बच्चा कह देता था तो उसकी मृत्यु के बाद दोनों को उसकी सम्पत्ति में हिस्सा मिलता था, किन्तु यदि जीवन काल में वह उसे अपना बच्चा नहीं कहता था तो उसे (दासीपुत्र) सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था।

इस प्रकार उसकी यह संहिता पश्चिमी एशिया के लिए अनुगामिनी के रूप में ख्याति हुई। इस संहिता में हम्मूरावी स्वयं कहता है कि देवताओं की कृपा से मानव जाति के कल्याणार्थ दुष्टता पाप और अन्याय को दूर करने के लिए हम्मूरावी कोड है, इसी संहिता के माध्यम से उसने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में समन्वय एवं सन्तुलन स्थापित करने का निरवशेष प्रयत्न किया। इस संहिता में अनियमितता को स्थान नहीं दिया गया है। कर्त्तव्य पालन महत्त्वपूर्ण माना गया है। निष्पक्ष न्याय की अनुशंसा की गयी है।

सामाजिक स्थिति

1. समाज का विभाजन-बेबीलोनिया की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। वहाँ का समाज तीन वर्गों में विभक्त था-पहला उच्च वर्ग था जिसे 'आमेलू' कहते थे। इस वर्ग में मन्त्री, पदाधिकारी, सामन्त, राजवंश, पंजारी आदि आते थे। दूसरा मध्यम वर्ग था, जिसे 'मशकीनू' कहते थे। इस वर्ग में व्यापारी, छोटे-छोटे व्यवसायी और किसान आदि आते थे। तीसरा निम्न वर्ग था, जिसे 'अरद' कहते थे। इस वर्ग में दास आते थे। दास वर्ग अपने स्वामी की सम्पत्ति होता था। दास चार प्रकार के होते थे-(अ) जो दास के यहाँ पैदा होते थे। (ब) कर्ज चुकाने में असमर्थ रहने पर व्यक्ति को दास बना लिया जाता था और वह दास, अपने स्वामी की सेवा करके छुटकारा पा सकता था। (स) खरीदकर बनाये गये दास एवं (द) युद्धबन्दी के रूप में बनाये गये दास। बेब्रीलोनिया के दासों को कुछ अधिकार भी प्राप्त थे।

2. संयुक्त परिवार प्रणाली–बेबीलोनिया में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी और पुत्र अपने पिता का ही व्यवसाय करता था। वहाँ परिवार का कानूनी आधार एक विवाह की प्रथा था, परन्तु कोई भी पुरुष एक या एक से अधिक उप-पत्नियाँ भी रख सकता था। विवाह के साथ लड़की को दहेज भी दिया जाता था, उसे 'शेरक्टि' कहते थे। दहेज पर आजीवन लड़की का अधिकार रहता था। उसके मरने के बाद यह सम्पत्ति उसके बच्चों की हो जाती थी। लड़की की निःसन्तान मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति पुनः उसके पिता के घर वापस चली